

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2022
FIR No. (प्र.सू. सं.): 0028 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 19/11/2022 21:09 hrs
2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	384
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
 1 Day (दिन): Saturday Date from (दिनांक से): 19/11/2022 Date To (दिनांक तक): 19/11/2022
 Time Period (समय अवधि): Pahar 6 Time From (समय से): 17:45 hrs Time To (समय तक): 17:45 hrs
 (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/11/2022 Time (समय): 20:15 hrs
 (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 19/11/2022 20:36 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
 1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 90 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
 (b) Address (पता): बहल,
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
 District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
 (a) Name (नाम): अशोक कुमार
 (b) Father's Name (पिताका नाम): मनीराम
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
 (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

 (h) Occupation (व्यवसाय):
 (i) Address (पता):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	चान्दगोठी, राजगढ़CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	Permanent Address	चान्दगोठी, राजगढ़CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9351752588

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जयवीर ठाका			1. राजगढ़, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	राजीव पुलिस कर्मचारी			1. CIA -1 भिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में श्रीमान् ईसपैक्टर साहब रा.चौ.ब्यूरो युनिट भिवानी विषय:- सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध रिश्वत मांगने बाबत कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु । श्रीमान् जी, निवेदन है कि मैं अशोक कुमार पुत्र श्री मनीराम शर्मा निवासी गांव चांदगोठी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) का हूँ । दिनांक 25.09.2022 को बहल पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष पुत्र चन्द्रभान निवासी बरवाला को चुरापोस्त साथ पकड़ा था । जिस पर उसके खिलाफ एक FIR NO. 221 दिनांक 25.09.2022 को धारा 15बी, 25 NDPS ACT में दर्ज की थी । दिनांक 27.09.2022 को एक पुलिस कर्मचारी जो अपना नाम राजीव बता रहा था उसने कहा कि मैं CIA -1 भिवानी से आया हूँ । FIR NO. 221 /2022 के आरोपी सुभाष ने तुम्हारे भाई राजेश कुमार पुत्र मनीराम शर्मा का नाम लिया है अगर तुम्हें इसमें कुछ रियायत वा CIA की मारपीट व पहले कोई भुक्की बेची हो उस बारे में पूछताछ नहीं करेंगे तुम जयवीर ढाका निवासी राजगढ़ से मिल लेना वह तुम्हें बता देगा कि कितनी रिश्वत लगेगी फिर कुछ दिन बाद उक्त जयवीर ढाका मेरे को उक्त राजीव पुलिस कर्मचारी से मिलाने के लिए लोहार लेकर गया जहां राजीव ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे भाई के केस के बारे में तुम्हें कुछ रियायत करवानी है तो 6 लाख रुपये रिश्वत के दे दो । पुलिस तुम्हारे घर ना तो कोई रैंड मारेगी तुम जब चाहोगे अपने भाई को पेश कर देना हम एक दो दिन का पुलिस रिमाण्ड लेने की औपचारिकता करके राजेश को जुडिशियल में भेजे देंगे । जिस पर मैंने कहा कि 6 लाख तो ज्यादा हैं कुछ कम करो इस पर उसने कहा कि तुम जयवीर ढाका से बात कर लेना दिनांक 15.11.2022 को जयवीर ढाका मेरे पास आया और उसने कहा कि राजीव पुलिस वाले ने आपको बहल बुलवाया है जहां चलकर पैसे की लेने देन कि फाईनल बात कर लेते हैं मैं और जयवीर ढाका लगभग 6 बजे शाम बहल पहुंचे जहां पर उक्त राजीव वहां मिला जिसने मुझे कहा कि तुम्हारे जयवीर ढाका से बात हो गई होगी तुम रिश्वत के 3 लाख 20 हजार रुपये जयवीर ढाका को दे देना और 4-5 दिन मैं अपने भाई को पेश कर देना हम उसका एक दो दिन का रिमाण्ड लेकर जुडिशियल में भेज देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि राजेश का चालान सुभाष के साथ ही दिलवा दूंगा । आज जयवीर ढाका ने मुझे कहा कि मेरी राजीव से बात हो गई है । वह तीन लाख रुपये में मान जाएगा । तुम 3 लाख रुपये लाकर मुझे दे दो तथा अपने भाई को पेश कर दो । जनाब मैं अपने भाई के बाबत राजीव द्वारा मांगी गई 3 लाख रुपये रिश्वत नहीं देना चाहता । आपसे प्रार्थना है कि उक्त जयवीर ढाका व राजीव पुलिस कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत मांगने बाबत सक्त से सक्त कानूनी कार्यवाही की जावे व मैं आरोपियों द्वारा रिश्वत मांग संबंधित रिकार्डिंग पेश कर रहा हूँ । SD ASHOK KUMAR अशोक कुमार पुत्र श्री मनीराम शर्मा निवासी गांव चांदगोठी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) मो. नं. 93517-52588 दिनांक 19.11.2022 कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक हाजिर SVB युनिट भिवानी हूँ कि श्री डा. रामअवतार ADA रा.चौ.ब्यूरो हिसार का टेलिफोन प्राप्त हुआ कि अशोक कुमार पुत्र श्री मनीराम शर्मा निवासी गांव चांदगोठी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) किसी सरकारी कर्मचारी पर रिश्वत मांगने बाबत रैंड करवाना चाहता है जिस पर मन निरीक्षक मय HC समीर 1043/भिवानी, EHC सुखविन्द सिंह नं.54/ NNL, EHC परमानन्द 83/भिवानी , EHC नरेन्द्र नं. 427/हांसी बा सवारी गाडी सरकारी नं. HR 55-0999 चालक EHC प्रदीप कुमार नं. 864/भिवानी के लैपटाप, प्रिंटर व तफतीशी बैग साथ लेकर रवाना बहल का हुआ हूँ । बस अड्डा बहल पर अशोक कुमार उपरोक्त मुलाक़ि हुआ जिसने उपरोक्त दरखास्त बाबत रैंड करवाने बारे पेश की तथा रिश्वत मांग संबंधित एक रिकार्डिंग भी पेश की जो मजबूत दरखास्त व रिकार्डिंग सुनने से सुरत जुर्म जैर धारा 7,7A PC ACT वा धारा 384 IPC का होना पाये जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EHC नरेन्द्र नं. 427/हांसी थाना रा.चौ.ब्यूरो हिसार भेजी जा रही है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित करें । मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट वा अफसरानबाला को भिजवाई जावे । उपायुक्त भिवानी के पत्र क्रमांक 717/PA दिनांक 22.09.2022 द्वारा नियुक्त किये गये गवाह नेत्रपाल GM हरियाणा रोडवेज भिवानी से सम्पर्क करके एक अन्य कर्मचारी को साथ लेकर बहल पहुंचने बारे सुचित किया गया है । अज:- बस अड्डा बहल SD KULWANT निरीक्षक रा.चौ.ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी दिनांक 19.11.2022 at 5.45 PM अज थाना- हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा उपरोक्त दर्ज रजि. किया जाकर नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर EHC नरेन्द्र न. 427/हांसी के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है । प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी की सेवा में भेजी जा र

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Kulwant Singh Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 55SR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant

/informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Satyapal

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 303/SPT

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

